



2026:AHC:17857

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -ए संख्या - 334 वर्ष 2026

अर्जुन सिंह और 34 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राजेश सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह ने याचिकाकर्ता संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 और 31 की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, साथ ही उन्हें इस प्रकरण पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है। अतः, याचिकाकर्ता संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 और 31 को इस प्रकरण पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो राज्य पुलिस विभाग में कार्यरत थे, **घनश्याम तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012** में पारित निर्णय के आलोक में 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन में अतिरिक्त वृद्धि चाहते हैं, जिसका अनुसरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वीरेंद्र कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य के प्रकरण में रिट याचिका संख्या 48601 वर्ष 2015 के निर्णय में किया गया था, जिसके विरुद्ध विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या 538 वर्ष 2016 को 07.09.2016 को खारिज कर दिया गया था और इसी प्रकार विशेष अनुमति याचिका सीसी 6316 वर्ष 2017 को 03.04.2017 को खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह कानूनी स्थिति आज तक बरकरार है और याचिकाकर्ताओं जैसे कई कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष **राधे श्याम यादव और 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य, रिट याचिका संख्या 6753 वर्ष 2023** के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित हालिया आदेश भी प्रस्तुत किया है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपर्युक्त कानूनी स्थिति का खंडन नहीं कर सके।

6. पूर्व के मददेनजर, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, याचिकाकर्ताओं के दावे पर **घनश्याम तिवारी (पूर्व)** के निर्णय के अनुसार विचार किया जाएगा और नए अभ्यावेदन की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करके उसका निस्तारण किया जाएगा।

27 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)